

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 28.03.2025

### जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा 13 गैंगस्टर के विरुद्ध के 05 अभियोग किये गए पंजीकृत-

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना अंतू पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों, थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों, थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों, थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों एवं थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 02 के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लूट, चोरी, अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, छेड़खानी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

वर्ष-2025 में गैंगस्टर के कुल 31 अभियोग पंजीकृत करते हुए, उत्तर प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकरण में प्रथम स्थान है-

उक्त अभियोगों से संबंधित 11 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध हैं।

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

01- थाना अन्तू-

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल निर्देशन में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 27.03.2025 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 1. शशि प्रकाश उर्फ शशिकान्त विश्वकर्मा पुत्र ओमकार नाथ विश्वकर्मा निवासी कालीकन धाम थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी 2. बब्लू गौतम पुत्र शंकर गौतम नि० ग्राम साहबरी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ 3. हरिकेश वर्मा पुत्र स्व० रामअवध उर्फ अवध वर्मा नि० ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 4. महेश वर्मा पुत्र स्व० रमेश वर्मा नि० ग्राम डड़वा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना अन्तू में मु०अ०सं० 95/25 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके रात्रि में गृह भेदन कर घर व दुकानों से नगदी व जेवरात की चोरी जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिसमें 03 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

गैंगलीडर व सदस्य शशि प्रकाश. बब्लू, हरिकेश वर्मा, महेश वर्मा द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ दिनांक 10.04.2024 को वादी निवासी ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के घर में रात्रि के समय छत से प्रवेश करके लाइसेंसी बन्दूक व जेवरात एवं नगदी व घरेलू समान चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना अन्तू में मु०अ०सं० 145/24 धारा 457,380,411 भादवि पंजीकृत किया गया था।

आपराधिक इतिहास-

01- (गैंग लीडर) शशि प्रकाश उर्फ शशिकान्त विश्वकर्मा पुत्र ओमकार नाथ विश्वकर्मा निवासी कालीकन धाम थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-145/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0-501/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
03. मु0अ0सं0-255/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
04. मु0अ0सं0-281/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
05. मु0अ0सं0-275/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
06. मु0अ0सं0-341/24 धारा 305,317(2),317 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
07. मु0अ0सं0-342/24 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
08. मु0अ0सं0-400/24 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
09. मु0अ0सं0-108/24 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
10. मु0अ0सं0-197/24 धारा 305,317(2),317(4),317(5),331(4) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
11. मु0अ0सं0-333/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
12. मु0अ0सं0-161/24 धारा 305,317(2),317(4),317(5),331(4) बीएनएस थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
13. मु0अ0सं0-229/24 धारा 305,117(2),331(4), बीएनएस थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
14. मु0अ0सं0-523/24 धारा 109(1),317(2),351(3),352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

02- बब्लू गौतम पुत्र शंकर गौतम नि0 ग्राम साहबरी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-145/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0-501/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
03. मु0अ0सं0-255/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

04. मु0अ0सं0-281/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
05. मु0अ0सं0-523/24 धारा 109(1),317(2),351(3),352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
06. मु0अ0सं0-243/10 धारा 376,506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 03- हरिकेश वर्मा पुत्र स्व0 रामअवध उर्फ अवध वर्मा नि0 ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
- 1- मु0अ0सं0 145/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
- 02- मु0अ0सं0-523/24 धारा 109(1),317(2),351(3),352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 04- महेश वर्मा पुत्र स्व0 रमेश वर्मा नि0 ग्राम डड़वा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0-145/24 धारा 457,380,411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0-501/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु0अ0सं0-255/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
04. मु0अ0सं0-281/24 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।
05. मु0अ0सं0-523/24 धारा 109(1),317(2),351(3),352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
06. मु0अ0सं0-136/22 धारा 363, 366, 376, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(1)द, 3(2)(v), 3(2)(va) sc/st act व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।
07. मु0अ0सं0-35/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

## 2- थाना कोतवाली नगर-

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जून सिंह के नेतृत्व में दिनांक 27.03.2025 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 1- जुनैद खान उर्फ अज्जू पुत्र अमजद खान निवासी नई बस्ती बेगम वार्ड थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता- ब्लॉक नं0-69 कमरा नं0 818 कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना को0 नगर प्रतापगढ़, 2- इम्तियाज उर्फ गाजी पुत्र मो0 शकूर निवासी आजाद नगर थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़, 03. आशिष उर्फ गौरव मिश्रा पुत्र काशीप्रसाद मिश्रा निवासी हुल्लासगढ़ पूरे नोटि हाल पता किराये का मकान कस्बा लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली

नगर में मु0अ0सं0 129/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गंगलीडर जुनैद खान उर्फ अज्जू व सदस्य इम्तियाज उर्फ गाजी, आशिष उर्फ गौरव के साथ मिलकर भिन्न-2 जगहो पर चोरी जैसी घटना कारित करते थे। जिसमें दिनांक 27.03.2025 को 02 अभियुक्तों जुनैद खान उर्फ अज्जू, इम्तियाज उर्फ गाजी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

1- जुनैद खान उर्फ अज्जू पुत्र अमजद खान निवासी नई बस्ती बेगम वार्ड थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता - ब्लॉक नं0-69 कमरा नं0 818 कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना को0 नगर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 330/23 धारा 379 भादवि थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 667/23 धारा 411/413/465 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 224/23 धारा 379/411 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

4- मु0अ0सं0-129/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

2- इम्तियाज उर्फ गाजी पुत्र मो0 शकूर निवासी आजाद नगर थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-745/17 धारा 324/427/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0-201/20 धारा 323/354 ख/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3-मु0अ0सं0-1095/20 धारा 323/352/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4-मु0अ0सं0-330/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

5-मु0अ0सं0-16/25 धारा115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

6- मु0अ0सं0-129/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986।

03. आशिष उर्फ गौरव मिश्रा पुत्र काशीप्रसाद मिश्रा निवासी हुल्लासगढ़ पूरे नोटि हाल पता किराये का मकान कस्बा लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 667/23 धारा 411/413/465 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 224/23 धारा 379/411 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

### 3- थाना सांगीपुर-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 27.03.2025 को जनपद स्तर के सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 1- अशफाक पुत्र इलियास निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ व 2- अरमान पुत्र साकिर अली उर्फ सरवर निवासी ग्राम पुरवारा (जलेसरगंज) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 58/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है

गैंगलीडर अशफाक व सदस्य अरमान द्वारा दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध कारित किये है। जिसके सम्बन्ध में थाना सांगीपुर पर धारा 376डी,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें दोनों अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

#### आपराधिक इतिहास-

01- (गैंग लीडर) अशफाक पुत्र इलियास निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

1- मु0अ0सं0- 104/2024 धारा 376डी,504,506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0- 106/2024 धारा 4/5 विस्फोस्टक पदार्थ अधिनियम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0- 33/2025 धारा 308(5),126(2),351(3) बीएनएस सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

02- अरमान पुत्र साकिर अली उर्फ सरवर निवासी ग्राम पुरवारा (जलेसरगंज) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

1- मु0अ0सं0-104/2024 धारा 376डी,504,506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0-196/2016 धारा 354क भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0-294/2023 धारा 323,452,504,506 भादवि व3(1)द,3(1)ध,3(2)VA एससी/एसटी एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

### 04- थाना कुण्डा-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी कुण्डा सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 27.03.2025 को अन्तर्जनपदीय सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 1- मो0 तालिब पुत्र मो0 नजीब निवासी स्टेशन रोड़ करवला लालगोपालगंज थाना नवाबगंज प्रयागराज, 02- हिमान्शू यादव पुत्र शिवबहादुर यादव निवासी सिवनी का पुरवा देवर पट्टी बिहार थाना बाघराय प्रतापगढ़ पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 77/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है

गैंगलीडर मो० तालिब, सदस्य हिमान्शू यादव मिलकर लूट, हत्या का प्रयास जैसे संगीन अपराध कारित करते थे । जिसमें सभी 02 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है ।

आपराधिक इतिहास-

1- मो० तालिब पुत्र मो० नजीब निवासी स्टेशन रोड़ करवला लालगोपालगंज थाना नवाबगंज प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 383/2024 धारा 309(4) 317(2) बीएनएस थाना कुण्डा प्रतापगढ़ ।

02. मु०अ०सं० 390/2024 धारा 109, 351(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा प्रतापगढ़ ।

03. मु०अ०सं० 1020/2023 धारा 384, 506, भादवि थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव ।

02- हिमान्शू यादव पुत्र शिवबहादुर यादव निवासी सिवनी का पुरवा देवर पट्टी बिहार थाना बाघराय प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 383/2024 धारा 309(4) 317(2) बीएनएस थाना कुण्डा प्रतापगढ़ ।

02. मु०अ०सं० 390/2024 धारा 109, 351(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा प्रतापगढ़ ।

05- थाना संग्रामगढ़-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में दिनांक 27.03.2025 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 1- अंकुश पाण्डेय पुत्र कमलापति पाण्डेय निवासी ग्राम कामापट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़, 02- विश्वदीपक पाण्डेय पुत्र माताफेर पाण्डेय निवासी ग्राम भद्वीव डीह थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ पर थाना संग्रामगढ़ में मु०अ०सं० 47/2025 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है

गैंगलीडर अंकुश पाण्डेय, सदस्य विश्वदीपक पाण्डेय मिलकर दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध कारित किया था । जिसमें सभी 02 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है ।

1- अंकुश पाण्डेय पुत्र कमलापति पाण्डेय निवासी ग्राम कामापट्टी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 235/2024 धारा 376डी, 376(2)n, 506 भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।

02- विश्वदीपक पाण्डेय पुत्र माताफेर पाण्डेय निवासी ग्राम भद्वीव डीह थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 235/2024 धारा 376डी, 376(2)n, 506 भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के गजेहडी मोड़ अमावा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.03.2025 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में धारा 69/89/61(2)/351 (3) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री मनीष कुमार त्रिपाठी थाना सांगीपुर के नेतृत्व में उ0नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह का0 दिनेश कुमार व का0 नरेश कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 69/89/61(2)/351 (3) BNS से संबंधित वांछित अभियुक्त विकास केसरवानी पुत्र तीरथ केसरवानी निवासी ग्राम शीतलमऊ लालगंज अझारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के गजेहडी मोड़ अमावा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- विकास केसरवानी पुत्र तीरथ केसरवानी निवासी ग्राम शीतलमऊ लालगंज अझारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह का0 दिनेश कुमार व का0 नरेश कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़**

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री अरुण कुमार मौर्या मय हमराह हे0का0 राम दयाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी सं0 233 / 18 राज्य बनाम उमेश कुमार आदि अ0सं0 280/2017 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(X) एससी/एसटी एक्ट थाना

जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त जवाहर लाल पुत्र स्व० मोहनलाल उम्र 56 वर्ष निवासी बलापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जवाहर लाल पुत्र स्व० मोहनलाल उम्र 56 वर्ष निवासी बलापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० श्री अरुण कुमार मौर्या मय हमराह हे०का० राम दयाल थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी

थाना कुण्डा पुलिस को गोतस्करों के विरुद्ध मिली बड़ी सफलता

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा तस्करी के लिये ले जा रहे गोवंश बरामद

कंटेनर वाहन से 30 राशि गोवंशों को कराया गया मुक्त, कंटेनर सीज

अन्तर्गत धारा 3/5 (क) / 8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० में दर्ज किया गया अभियोग

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी व संदिग्धों की पहचान हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह मय हमराह उ०नि० गोविन्द सिंह चौहान, उ०नि० चरन सिंह का० हरेन्द्र कुमार का० जाहर सिंह का० विवेक मिश्रा, म०का० दीपांजली गुप्ता, म०का० अनुराधा राठौर, हो०गा० विजय मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर महावीर ढाबा के पीछे ग्राम बाबूगंज से एक अदद कंटेनर ट्रक वाहन से 30 राशि गोवंश को बरामद किया गया । जिसमें कंटेनर चालक भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर मौके पर वाहन छोड़कर भाग निकला । \*सभी गोवंशों को मुक्त कराकर सुरक्षित बेंती गौशाला में भेजा गया । कंटेनर ट्रक वाहन सं०- (एनएल०1एल6401) का चालक नाम पता अज्ञात, कंटेनर वाहन स्वामी व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना कुण्डा में मु०अ०स०-78/2025 धारा 3/ 5(क)/ 8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी- 30 राशि गोवंशों को मुक्त कराकर गौशाला भेजा गया, 02. कंटेनर ट्रक सीज ।

पुलिस टीम- प्र०नि० सत्येन्द्र सिंह, मय हमराह उ०नि० गोविन्द सिंह चौहान, उ०नि० चरन सिंह का० हरेन्द्र कुमार का० जाहर सिंह का० विवेक मिश्रा, म०का० दीपांजली गुप्ता, म०का० अनुराधा राठौर, हो०गा० विजय मिश्रा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।